राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, चलपीठ जोधपुर

अपील संख्या 401/2023

नारायण सुथार —अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिए शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग, राजस्थान, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. संयुक्त सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग, राजस्थान, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. सचिव सह आयुक्त, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग, राजस्थान, शासन सचिवालय, जयपुर।
4. हाजी उमरदीन सिंधी, प्रधान, फलोदी विधान सभा क्षेत्र, पंचायत समिति, फलोदी।

—प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुत करने की दिनांक : **09**.10.2023
आदेश की दिनांक : 19.06.2024

उपस्थित —

अपीलार्थी की ओर से : श्री हरीष जांगिड़, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री गजेन्द्र सिंह चौहान, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :— लेखराज तोसावड़ा, सदस्य
असलम मेहर, सदस्य

आदेष

1. पत्रावली में अपालार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने ग्रामीण विकास एवं पचांयतीराज विभाग के आदेष दिनांक 13.05.2024 को प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थी नारायण सुथार को जिस आदेष से आदेषों की प्रतीक्षा (APO) में रखा गया था, उस आदेष को अधिकरण में चुनौती दी गई थी, उस आदेष को निरस्त किया जा चुका है एवं अपीलार्थी को यथावत् विकास अधिकारी पंचायत समिति फलौदी के पद पर बने रहने हेतु निर्देषित किया गया है।
2. हम यह पाते है कि अधिकरण में चुनौती दिए गए प्रत्यर्थी विभाग के आदेष दिनांक 07.10.2023 (अनुलग्नक—8) अब नवीन आदेष दिनांक 13.05.2024 जारी किए जाने से यह अपील निष्फल (Infructuous) हो चुकी है एवं इस प्रकरण में अब आगे कोई कार्रवाई किया जाना शेष नहीं है।
3. अतः अपील सारहीन होने के कारण अंतिम रूप से निस्तारित की जाती है। पत्रावली दाखिल दफ्तर शुमार की जावे।

(असलम मेहर)
सदस्य

(लेखराज तोसावडा)
सदस्य